

16/12/16 पीठासीन अधिकारी के आज
मुख्यालय के बाहर दौरे/अवकाश पर होने
के कारण आज के प्रकरणों में तारीख
तब्दील की जाती है। मुताबिक आम सूचना
के मिसल दिनांक 16/12/17 को पूर्व
आदेश की पालन में पेश है।

आदेशानुसार
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

10/2/17... पीठासीन अधिकारी के आज
मुख्यालय के बाहर दौरे/अवकाश पर होने
के कारण आज के प्रकरणों में तारीख
तब्दील की जाती है। मुताबिक आम सूचना
के मिसल दिनांक... 10/2/17 को पूर्व
आदेश की पालन में पेश है।

आदेशानुसार
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

7/5/17

वकील प्रार्थनागण अप्रार्थीगण के नोटिस तलवान
रजिस्टर्ड AD पेश करें। पेश करने पर 45
जारी हो। मिसल दिनांक 12/5/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

12.5.17 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर
दौरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में
ब्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की
पालना में दिनांक 30.6.17 को पेश हो।

आदेशानुसार

चाय आपक द्वार अभियान - 2017

30.6.17

पत्रावली केवल कोर्ट बिट्टू के लिए ही

उसी ने उक्त जगह पेश कर विवेक किया

कि उक्त बिट्टू के हाल खलस नही

1425/0.65, 1430/0.28, 1436/0.49

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... मुकाम.....
..... बगाम.....
किस्म मुकदमा..... नं..... सग.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>की आसानी जाब्तगन की खेतपारी काइतकारी की है। मुलियादी सल्लेमा 1 से 5 के मिला, समदा बलद मोली के नाम जज बिहुल के खज 1416 / 0.143, 1432 / 0.142 देल की जा. बनेपान के पिराफत के बाद मुली आबतगन के नाम देल होखे।</p> <p>जज बिहुल के हाल ख. नं 1432/3384 खज 0.16 व 1431 खज 0.108 सिवामन देल हो।</p> <p>जाब्तगन के खेतपारी खेतों कम जमीन के लिये कोई भागी बनेपान के पिराफत बही हो उतर. ख. नं 1416 के उतर मुली कोन के पतिनी कोन कोन इन जाब्तगन के 20 फुट जोडा व लगभग 60 फुट लम्बाई के भागी सिवामन कोन उतरा मंजूर खज 0.108 व पानालिग के सिवामन जमीन</p> <p>मुजाना सल्लेमा 1 व 5 के जवाब देरा</p>	

पाठासम अधिकारी
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
बिहुल

Handwritten notes in the top right corner, including the word 'धारा' and some illegible characters.

कर निवेदन किया कि मुझे १२ रु. प्रति
 इलाहाबाद सिविल सिटी में ५.12.16 के
 अनुदान आदेशों का ख. नं 1431/008,
 1432/3384 ख. नं 0.16 से ६ शाला
 को दिया है। उक्त आदेशों द्वारा अनुदान
 के विवरण दिये हैं। सिविल सिटी में शाला
 प्राप्त करने के आदेशों को मिला नहीं है।
 १२ रु. प्रति न मिलने सिविल सिटी में ख. नं. नम्बर
 1416 के शाला का कोई हवाला नहीं मिलता है।
 उक्त आदेशों से ६ कोश आवागमन नहीं है।
 आदेशों के मात आवागमन हेतु वैधानिक
 प्राप्ति उपलब्ध है। शाला, आ. पत्र खोज
 किया जाये।

7/4

पत्रावली का अनुदान किया १२ रु. प्रति
 सिविल सिटी का अनुदान किया सिविल सिटी
 आदेशों के अन्तर्गत हेतु विदुल-बावली
 यन्त्री काम के अन्तर्गत ख. नं 1432/3384
 व 1431 से पूर्व के शाला प्राप्त का। उक्त
 शाला को हनीय पुत्र खोजा जाति देहात
 द्वारा डील डालकर व पत्नी डालकर
 किया गया है। ख. नं 1432/3384 व 1431
 द्वारा शाला अनुदान अनुदान सिविल सिटी दिये
 हैं। सिविल सिटी सिविल सिटी में नहीं मिलता है।


3

पाठासन अधिकारी
 लोक अदालत/कैम्प कोर्ट :: सिविल

कि उक्त रास्ते के अलावा जलबोर्ग के
खेतों में जल के लिए कोई अन्य रास्ता
नहीं है।

उक्तनुसार स्पष्ट है कि जलबोर्ग के
खेतों में जल हेतु ख. नं. 1432/3384 व
1431 व जलबोर्ग के खेतवारी ख. नं. 1416
पार-पार स्थित है जिससे जल प्राप्त होता
है जलबोर्ग ख. नं. 1416 के उत्तरी इलाके
के दक्षिणी ओर रास्ता जाते हैं किंतु
व्यवस्था विधि अनुसार अज्ञात हेतु विना
ख. नं. का उपयोग उक्त में किया जाता था जो
अभी जलबोर्ग द्वारा बंद किया गया है उक्त स्थिति
विनाश होने के कारण जलबोर्ग का उक्त
अंशों पर कोई हानि व नुकसान नहीं है
क्योंकि उक्त आरक्षित विनाश होने के कारण
उक्त आरक्षित में ही रास्ता प्राप्त करने हेतु
जलबोर्ग को मसलत का परामर्श करी
पादिए। हाजा न्यायालय मज एम खेतपार
का अन्य खेतदार को प्राप्त के अंश प्राप्त हेतु
जवाबदारी आरक्षित ही मात्र उपलब्ध
करने का अनुभव उक्त का उक्त है।

इतः जलबोर्ग का अंश पत्र कार्रवाई
किया जाता है तहसीलदार नदीरबाद उप


पाठासन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट : 19/11/21

पर
की
आधार
वंचित
न कर,

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय
रा

बिगुल ने हाल ख. नं 1431/0.08,
1432/3384 खण्ड 0.16 की दो मा जाय
का उक्त खसरा नम्बर पर स्थित शक्तिदुपण
को हराते की निम्नानुसार कार्यवाही करावी
पक्का खसरा खण्ड व इन दोरा पत्रावली
पैराल गुणा हो का नम्बर के रूप हो कर
दाखल दखल हो

पीठासन अधिकारी

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट

बिगुल

14